PSS Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE)

(A Constituent unit of NCERT, New Delhi under Ministry of Education (MoE), Govt. of INDIA)

Shyamla Hills, Bhopal – 462002, MP

Tender Document for Hiring Data Entry Operator

F.No. 4-51/Tender/DEO/C&W/2024-25/PSSCIVE Date : 19.06.2024

Office Ph. No. : 0755-2704155, 0755-2704112

Email : cdwpsscive@gmail.com

Website : www.psscive.ac.in

<u>SCOPE OF WORK & JOB DESCRIPTION</u>

1.Name of the post: Data Entry Operator

- **Essential Qualification:**
  - Intermediate, 10+2 or equivalent
  - Typing Speed of 35 w.p.m (English) or 30 w.p.m in Hindi on Computer (35 w.p.m and 30 w.p.m correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 Key depressions for each word).
  - At least one year Data Entry experience is required.
  - Working knowledge of Microsoft office (MS office).
  - Age limit 18 year to 40 years (age relaxation as per norms).

- **Desirable Qualification :**
  - Certificate of CPCT (Computer Proficiency Certificate Test)

- **Job Description :**
  - Dealing with the entire Clerical Work and Maintaining the Work Flow in Office.
  - Indexing, Registering and Maintaining File Registers in an efficient manner.
  - Registration of Mails, Entering Data on Computer.
  - Receiving Documents and maintaining the record of the same.
  - Getting the important Files and Documents for their senior, Typing Official Letters, Notice, Notifications and other official documents.
  - Any other work assigned by the officer in-charge.

PSSCIVE, नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions) :

- एजेंसी का मुख्यालय भोपाल में स्थापित होना अनिवार्य है।
- फर्म का संबंधित कार्य का अनुभव 3-5 साल तक का होना अनिवार्य होगा।
- फर्म का टर्नओवर लगभग तीन वर्षों का औसत 25 लाख तक होना अनिवार्य है।
- फर्म को दिए गए अनुबंध की समय अवधि लगभग 01 वर्ष तक रहेगी एवं प्रदर्शन के आधार पर समय अवधि को अधिकतम 03 वर्षों तक (एक-एक वर्ष के आधार पर) बढाया जा सकता है।
- फर्म के कर्मचारियों का मासिक वेतन 26 दिवसों का रहेगा।
- ई.एम.डी की राशि जेम पोर्टल के नियमानुसार फर्म द्वारा देय होगी।
- कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता के मापदंड के अनुसार रखा जाना अनिवार्य है।
- सफल फर्म को जेम पोर्टल के नियमानुसार सेवा कर का भुगतान किया जावेगा।
- सफल प्रथम निविदाकर्ता को 15 दिवस के अंदर अनुबंध निष्पादित कर मानव संसाधन उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
- DOPT के Norms के तहत लगातार छः दिन कार्य करने के बाद, एक दिन का सवेतन अवकाश दिया जाएगा। सप्ताह में पांच दिन कार्यालय आने वाले कामगारों को सप्ताह में एक दिन सवेतन साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, बशर्ते उन्होनें सप्ताह के दौरान न्यूनतम 40 घंटे काम किया हो। अतः सभी कर्मचारियों को जेम पोर्टल के नियमानुसार 26 दिवस का भुगतान किया जावेगा।
- DOPT आदेश के अनुसार कार्य दिवस में आने वाले राष्ट्रीय अवकाश (जैसे – 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी) के लिए दैनिक वेतन देय है।
- साप्ताहिक अवकाश और राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी दिन अनुपस्थिति पर वेतन देय नही होगा।
- वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते कि बढ़ोतरी जो कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती है, का भुगतान समय समय पर फर्म द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा संबंधित महंगाई भत्ते कि प्रति संस्थान में बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

कार्य का स्वरूप (Scope of Work)

1. जो कर्मी सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे कार्यालय द्वारा उनकी योग्यता प्रखरता जाँच की जाएगी एवं लगभग सात दिनों की अवधि में यदि अयोग्य पाए जाते है तो फर्म को दुसरे कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे। इसके पश्चात भी कर्मियों का कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर फर्म का अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संयुक्त निदेशक पं. सु. श. के. व्या. शि. सं. भोपाल को होगा।
2. मानव संसाधन (श्रमिकों) की संख्या बढाने अथवा घटाने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक पं. सु. श. के. व्या. शि. सं. भोपाल को होगा।
3. मानव संसाधन (श्रमिकों) को श्रमायुक्त, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्युनतम वेतन का भुगतान किया जावेगा। साथ ही समय – समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष परिस्थियों में न्युनतम वेतन का निर्धारण कर स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम नही होगी।
4. एजेंसी द्वारा सम्बंधित मानव संसाधन के बायोडाटा संबंधी जानकारी स्वयं रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को एक माह की समय सीमा में उपलब्ध करानी होगी।
5. मेनपावर प्रदान करने वाली एजेंसी संस्थान के परिसर एवं कल्याण अनुभाग से 01 से 03 तारीख के बीच, कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का उपस्थिति पत्रक प्राप्त कर लेंगे। एजेंसियों द्वारा सभी आउटसोर्स कर्मियों

को माह की 05 तारीख तक देय वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान में विलम्ब होने पर पेनल्टी जेमपोर्टल पर दर्शाए गए नियम व शर्तों के अनुसार लगाई जाएगी। वेतन भुगतान की गयी राशी के आधार पर आवश्यक दस्तावेज जैसे EPF,ESIC सम्बंधित चालान देयक के साथ तैयार कर 10 से 20 तारीख तक संस्थान के परिसर एवं कल्याण अनुभाग, पं. सु. श. के. व्या. शि. सं. भोपाल में प्रस्तुत करना, एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा।

6. एजेंसी द्वारा प्रदत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के EPF आदि का लेखाजोखा रखने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी की होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन एक माह में रु 15000 या उससे अधिक होता है तो उनका ई.पी.एफ. रु 1950 देय होगा और यदि रु 15000 से कम होता है तो 13 प्रतिशत की दर से EPF निर्धारित होगा। उसी प्रकार कर्मचारियों का वेतन एक माह में रु21000 या उससे अधिक होता है तो उनके इएसआईसी की राशी रु 683 देय होगी और यदि रु21000 से कम होता है तो 3.25 प्रतिशत कि दर से ESIC निर्धारित होगा।
7. निविदाकर्ता एवं पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
8. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद कि स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र, भोपाल होगा।
9. दोनों पक्षों के सभी प्रकार के विवाद और उत्पन्न होने वाले अनुबंध से संबधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल मध्यस्थम होंगे। मध्यस्थम का निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य तथा बन्धनकारी होगा।
10. मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों पर आर्बिट्रेशन तथा कंसाईलेशन एक्ट 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
11. अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पूर्व यदि इस निविदा से सम्बंधित कोई विवाद उत्पन्न होता तो यह विवाद केवल माननीय जिला न्यायालय, भोपाल के अधिकार क्षेत्र में होगा। अनुबंध निष्पादन के पश्चात यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार में होगा।
12. सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी सम्बंधित कार्मिक को कार्य पर बुलाया जा सकता है जिसका संबंधित फर्म को पालन करना होगा।
13. सफल निविदाकार द्वारा प्रमुख अनुबंध अवधि में किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध को समाप्त कर दे तथा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को राजसात कर लें।
14. यदि श्रमिकों के द्वारा प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल की चल/अचल सम्पति को क्षति पहुंचाई जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेंसी को करनी होगी।
15. सभी श्रमिकों के EPF,ESIC आदि का हिसाब रखने की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं उनके ESIC चिकित्सक कार्ड बनवाकर देना एवं उनकी सूचि संस्थान में प्रस्तुत करना फर्म के लिए अनिवार्य होगा।
16. यदि श्रमिकों एवं नियोक्ता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा। प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल की कोई जवाबदारी नही होगी।
17. उपलब्ध कराये गए मानव संसाधन के नियोजन, किसी भी प्रकार के दावे एवं नियमितीकरण की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी , प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल कि नही होगी।
18. किन्ही भी परिस्थितियों में फर्म को यह अधिकार नही होगा कि किसी भी अन्य व्यक्ति को ठेकेदार नियुक्त करे।
19. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए मानव संसाधन के सम्बन्ध में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त नियमों का पालन न करने के फलस्वरूप यदि श्रम विभाग द्वारा विवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो इसके लिए सम्बंधित एजेंसी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

20. यदि सेवा प्रदाता, उपलब्ध कराये गए मानव संसाधनों से संस्थान में किसी भी रूप, तरीके या नाम पर अनुचित राशि या शुल्क लेते हुए पाया जाता है तो सेवा प्रदाता द्वारा जमा कि गयी प्रदर्शन सुरक्षा राशि (Performance Security Deposit) को जब्त करने , अनुबंध तुरंत समाप्त करने के साथ सेवा प्रदाता को Black List में भी डाला जा सकता है तथा सेवा प्रदाता कि सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त कर्मचारियों का वेतन लंबित बिल से सीधा भुगतान किया जायेगा।
21. वर्क आदेश देने पूर्व संस्थान को Gem पोर्टल के माध्यम से BID निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
22. सफल एजेंसी/बोलीदाता को काम शुरू होने से पहले संस्थान में तैनात की जाने वाली व्यक्तिगत जनशक्ति के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :
    i. तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की सूचि।
    ii. शैक्षिक/पेशेवर के संबंध में प्रमाण पत्र के साथ व्यक्ति का बायोडाटा, योग्यता आदि।
    iii. जन्मतिथि युक्त मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
    iv. स्थानीय पुलिस प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति के पूर्ववर्त के सत्यापन का प्रमाण पत्र।
    v. पहचान का विस्तृत प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खता विवरण, निवास का प्रमाण और संस्थान में एजेंसी द्वारा तैनात किए जाने वाले कर्मियों की हाल की 2 फोटोग्राफ।
23. सफल एजेंसी/बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से फिट हैं।

PSS Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE)

(A Constituent unit of NCERT, New Delhi under Ministry of Education (MoE), Govt. of INDIA)

Shyamla Hills, Bhopal – 462002, MP

Tender Document for Hiring Unarmed Security Guard

F.No. 4-51/Tender/Security Guard/C&W/2024-25/PSSCIVE Date : 19.06.2024

Office Ph. No. : 0755-2704155, 0755-2704112

Email : cdwpsscive@gmail.com

Website : www.psscive.ac.in

SCOPE OF WORK & JOB DESCRIPTION

1.Name of the post: Unarmed Security Guard

- **Essential Qualification:**
- High School (10th)
- Age limit 18 year to 45 years (age relaxation as per norms).

- **Job Description / Eligibility Criteria :**
- Duty hours in a day 8 hours
- Gender : Male
- Category : Skilled
- Experience : 3-6years
- Additional requirements for the Security personnel : Physically fit

PSSCIVE, नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions) :

- एजेंसी का मुख्यालय भोपाल में स्थापित होना अनिवार्य है।
- फर्म का संबंधित कार्य का अनुभव 3-5 साल तक का होना अनिवार्य होगा।
- फर्म का टर्नओवर लगभग तीन वर्षों का औसत 50 लाख तक होना अनिवार्य है।
- फर्म को दिए गए अनुबंध की समय अवधि लगभग 01 वर्ष तक रहेगी एवं प्रदर्शन के आधार पर समय अवधि को अधिकतम 03 वर्षों तक (एक-एक वर्ष के आधार पर) बढाया जा सकता है।
- फर्म के कर्मचारियों का मासिक वेतन 26 दिवसों का रहेगा।
- ई.एम.डी की राशि जेम पोर्टल के नियमानुसार फर्म द्वारा देय होगी।
- कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता के मापदंड के अनुसार रखा जाना अनिवार्य है।
- सफल फर्म को जेम पोर्टल के नियमानुसार सेवा कर का भुगतान किया जावेगा।

- सफल प्रथम निविदाकर्ता को 15 दिवस के अंदर अनुबंध निष्पादित कर मानव संसाधन उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
- DOPT के Norms के तहत लगातार छः दिन कार्य करने के बाद, एक दिन का सवेतन अवकाश दिया जाएगा, बशर्ते उन्होनें सप्ताह के दौरान न्यूनतम 48 घंटे काम किया हो। अतः सभी कर्मचारियों को जेम पोर्टल के नियमानुसार 26 दिवस का भुगतान किया जावेगा।
- वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते कि बढ़ोतरी जो कि केंद्र सरकार द्वारा सूचित होती है, का भुगतान समय समय पर भुगतान फर्म द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा संबंधित महंगाई भत्ते कि प्रति संस्थान में बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

कार्य का स्वरूप (Scope of Work)

1. जो कर्मी सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे कार्यालय द्वारा उनकी योग्यता प्रखरता जाँच की जाएगी एवं लगभग सात दिनों की अवधि में यदि अयोग्य पाए जाते है तो फर्म को दुसरे कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे। इसके पश्चात भी कर्मियों का कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर फर्म का अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संयुक्त निदेशक पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को होगा।
2. मानव संसाधन (श्रमिकों) की संख्या बढाने अथवा घटाने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को होगा।
3. मानव संसाधन (श्रमिकों) को श्रमायुक्त, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्युनतम वेतन का भुगतान किया जावेगा। साथ ही समय – समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष परिस्थियों में न्युनतम वेतन का निर्धारण कर स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम नही होगी।
4. एजेंसी द्वारा सम्बंधित मानव संसाधन के बायोडाटा संबंधी जानकारी स्वयं रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को एक माह की समय सीमा में उपलब्ध करानी होगी।
5. मेनपावर प्रदान करने वाली एजेंसी संस्थान के परिसर एवं कल्याण अनुभाग से 01 से 03 तारीख के बीच, कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का उपस्थिति पत्रक प्राप्त कर लेंगे। एजेंसियों द्वारा सभी आउटसोर्स कर्मियों को माह की 05 तारीख तक देय वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान में विलम्ब होने पर पेनल्टी जेमपोर्टल पर दर्शाए गए नियम व शर्तों के अनुसार लगाई जाएगी। वेतन भुगतान की गयी राशी के आधार पर आवश्यक दस्तावेज जैसे EPF,ESIC सम्बंधित चालान देयक के साथ तैयार कर 10 से 20 तारीख तक संस्थान के परिसर एवं कल्याण अनुभाग, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल में प्रस्तुत करना, एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा।
6. एजेंसी द्वारा प्रदत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के EPF आदि का लेखाजोखा रखने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी की होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन एक माह में रु 15000 या उससे अधिक होता है तो उनका ई.पी.एफ. रु 1950 देय होगा और यदि रु 15000 से कम होता है तो 13 प्रतिशत की दर से EPF निर्धारित होगा। उसी प्रकार कर्मचारियों का वेतन एक माह में रु21000 या उससे अधिक होता है तो उनके इएसआईसी की राशी रु 683 देय होगी और यदि रु21000 से कम होता है तो 3.25 प्रतिशत कि दर से ESIC निर्धारित होगा।
7. निविदाकर्ता एवं पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
8. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद कि स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र, भोपाल होगा।

9. दोनों पक्षों के सभी प्रकार के विवाद और उत्पन्न होने वाले अनुबंध से संबधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल मध्यस्थम होंगे। मध्यस्थम का निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य तथा बन्धनकारी होगा।
10. मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों पर आर्बिट्रेशन तथा कंसाईलेशन एक्ट 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
11. अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पूर्व यदि इस निविदा से सम्बंधित कोई विवाद उत्पन्न होता तो यह विवाद केवल माननीय जिला न्यायालय, भोपाल के अधिकार क्षेत्र में होगा। अनुबंध निष्पादन के पश्चात यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार में होगा।
12. सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी सम्बंधित कार्मिक को कार्य पर बुलाया जा सकता है जिसका संबंधित फर्म को पालन करना होगा।
13. सफल निविदाकार द्वारा प्रमुख अनुबंध अवधि में किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध को समाप्त कर दे तथा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को राजसात कर लें।
14. यदि श्रमिकों के द्वारा प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल की चल/अचल सम्पति को क्षति पहुंचाई जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेंसी को करनी होगी।
15. सभी श्रमिकों के EPF,ESIC आदि का हिसाब रखने की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं उनके ESIC चिकित्सक कार्ड बनवाकर देना एवं उनकी सूचि संस्थान में प्रस्तुत करना फर्म के लिए अनिवार्य होगा।
16. यदि श्रमिकों एवं नियोक्ता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा। प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल की कोई जवाबदारी नही होगी।
17. उपलब्ध कराये गए मानव संसाधन के नियोजन, किसी भी प्रकार के दावे एवं नियमितीकरण की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी , प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल कि नही होगी।
18. किन्ही भी परिस्थितियों में फर्म को यह अधिकार नही होगा कि किसी भी अन्य व्यक्ति को ठेकेदार नियुक्त करे।
19. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए मानव संसाधन के सम्बन्ध में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त नियमों का पालन न करने के फलस्वरूप यदि श्रम विभाग द्वारा विवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो इसके लिए सम्बंधित एजेंसी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।
20. यदि सेवा प्रदाता, उपलब्ध कराये गए मानव संसाधनों से संस्थान में किसी भी रूप, तरीके या नाम पर अनुचित राशि या शुल्क लेते हुए पाया जाता है तो सेवा प्रदाता द्वारा जमा कि गयी प्रदर्शन सुरक्षा राशि (Performance Security Deposit) को जब्त करने , अनुबंध तुरंत समाप्त करने के साथ सेवा प्रदाता को Black List में भी डाला जा सकता है तथा सेवा प्रदाता कि सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त कर्मचारियों का वेतन लंबित बिल से सीधा भुगतान किया जायेगा।
21. वर्क आदेश देने पूर्व संस्थान को Gem पोर्टल के माध्यम से BID निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
22. सफल एजेंसी/बोलीदाता को काम शुरू होने से पहले संस्थान में तैनात की जाने वाली व्यक्तिगत जनशक्ति के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :
    - vi. तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की सूचि।
    - vii. शैक्षिक/पेशेवर के संबंध में प्रमाण पत्र के साथ व्यक्ति का बायोडाटा, योग्यता आदि।
    - viii. जन्मतिथि युक्त मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
    - ix. स्थानीय पुलिस प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति के पूर्ववर्त के सत्यापन का प्रमाण पत्र।
    - x. पहचान का विस्तृत प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खता विवरण, निवास का प्रमाण और संस्थान में एजेंसी द्वारा तैनात किए जाने वाले कर्मियों की हाल की 2 फोटोग्राफ।
23. सफल एजेंसी/बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से फिट है।

PSS Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE)
(a Constituent unit of NCERT, New Delhi under Ministry of Education (MoE), Govt. of INDIA)
Shyamla Hills, Bhopal – 462 002, MP

Tender Document for Hiring of Unarmed Security Supervisor (Ex Serviceman)

F.No. 4-51/Tender/DEO/C&W/2024-25/PSSCIVE Date : 19.06.2024

Office Ph. No. :0755-2704155 ,0755- 2704112
Email : cdwpsscive@gmail.com
Website : www.psscive.ac.in

SCOPE OF WORK & JOB DESCRIPTION

1. **Name of the post: Unarmed Security Supervisor (Ex Serviceman)**

- **Essential Qualification:**
  - Secondary School
  - Age limit 30 year to 50 years (age relaxation as per norms).
  - Ex Serviceman

- **Job Description / Eligibility Criteria :**
  - Duty hours in a day 8 hours
  - Gender : Male
  - Category of Skills : Skilled
  - Experience : 5 - 7 years in concern field
  - Additional requirements for the Security Personnel : Physically fit

PSSCIVE, नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions) :

- एजेंसी का मुख्यालय भोपाल में स्थापित होना अनिवार्य है।
- फर्म का संबंधित कार्य का अनुभव 3-5 साल तक का होना अनिवार्य होगा।
- फर्म का टर्नओवर लगभग तीन वर्षों का औसत 50 लाख तक होना अनिवार्य है।
- फर्म को दिए गए अनुबंध की समय अवधि लगभग 01 वर्ष तक रहेगी एवं प्रदर्शन के आधार पर समय अवधि को अधिकतम 03 वर्षों तक (एक-एक वर्ष के आधार पर) बढाया जा सकता है।
- फर्म के कर्मचारियों का मासिक वेतन 26 दिवसों का रहेगा।
- ई.एम.डी की राशि जेम पोर्टल के नियमानुसार फर्म द्वारा देय होगी।
- कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता के मापदंड के अनुसार रखा जाना अनिवार्य है।
- सफल फर्म को जेम पोर्टल के नियमानुसार सेवा कर का भुगतान किया जावेगा।

- सफल प्रथम निविदाकर्ता को 15 दिवस के अंदर अनुबंध निष्पादित कर मानव संसाधन उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
- DOPT के Norms के तहत लगातार छः दिन कार्य करने के बाद, एक दिन का सवेतन अवकाश दिया जाएगा, बशर्ते उन्होनें सप्ताह के दौरान न्यूनतम 48 घंटे काम किया हो। अतः सभी कर्मचारियों को जेम पोर्टल के नियमानुसार 26 दिवस का भुगतान किया जावेगा।
- वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते कि बढ़ोतरी जो कि केंद्र सरकार द्वारा सूचित होती है, का भुगतान समय समय पर भुगतान फर्म द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा संबंधित महंगाई भत्ते कि प्रति संस्थान में बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

कार्य का स्वरूप (Scope of Work)

1. जो कर्मी सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे कार्यालय द्वारा उनकी योग्यता प्रखरता जाँच की जाएगी एवं लगभग सात दिनों की अवधि में यदि अयोग्य पाए जाते है तो फर्म को दुसरे कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे। इसके पश्चात भी कर्मियों का कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर फर्म का अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संयुक्त निदेशक पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को होगा।
2. मानव संसाधन (श्रमिकों) की संख्या बढाने अथवा घटाने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को होगा।
3. मानव संसाधन (श्रमिकों) को श्रमायुक्त, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्युनतम वेतन का भुगतान किया जावेगा। साथ ही समय – समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष परिस्थियों में न्युनतम वेतन का निर्धारण कर स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम नही होगी।
4. एजेंसी द्वारा सम्बंधित मानव संसाधन के बायोडाटा संबंधी जानकारी स्वयं रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को एक माह की समय सीमा में उपलब्ध करानी होगी।
5. मेनपावर प्रदान करने वाली एजेंसी संस्थान के परिसर एवं कल्याण अनुभाग से 01 से 03 तारीख के बीच, कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का उपस्थिति पत्रक प्राप्त कर लेंगे। एजेंसियों द्वारा सभी आउटसोर्स कर्मियों को माह की 05 तारीख तक देय वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान में विलम्ब होने पर पेनल्टी जेमपोर्टल पर दर्शाए गए नियम व शर्तों के अनुसार लगाई जाएगी। वेतन भुगतान की गयी राशी के आधार पर आवश्यक दस्तावेज जैसे EPF,ESIC सम्बंधित चालान देयक के साथ तैयार कर 10 से 20 तारीख तक संस्थान के परिसर एवं कल्याण अनुभाग, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल में प्रस्तुत करना, एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा।
6. एजेंसी द्वारा प्रदत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के EPF आदि का लेखाजोखा रखने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी की होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन एक माह में रु15000 या उससे अधिक होता है तो उनका ई.पी.एफ. रु 1950 देय होगा और यदि रु 15000 से कम होता है तो 13 प्रतिशत की दर से EPF निर्धारित होगा। उसी प्रकार कर्मचारियों का वेतन एक माह में रु21000 या उससे अधिक होता है तो उनके इएसआईसी की राशी रु 683 देय होगी और यदि रु21000 से कम होता है तो 3.25 प्रतिशत कि दर से ESIC निर्धारित होगा।
7. निविदाकर्ता एवं पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
8. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद कि स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र, भोपाल होगा।

9. दोनों पक्षों के सभी प्रकार के विवाद और उत्पन्न होने वाले अनुबंध से संबधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल मध्यस्थम होंगे। मध्यस्थम का निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य तथा बन्धनकारी होगा।
10. मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों पर आर्बिट्रेशन तथा कंसाईलेशन एक्ट 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
11. अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पूर्व यदि इस निविदा से सम्बंधित कोई विवाद उत्पन्न होता तो यह विवाद केवल माननीय जिला न्यायालय, भोपाल के अधिकार क्षेत्र में होगा। अनुबंध निष्पादन के पश्चात यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार में होगा।
12. सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी सम्बंधित कार्मिक को कार्य पर बुलाया जा सकता है जिसका संबंधित फर्म को पालन करना होगा।
13. सफल निविदाकार द्वारा प्रमुख अनुबंध अवधि में किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध को समाप्त कर दे तथा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को राजसात कर लें।
14. यदि श्रमिकों के द्वारा प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल की चल/अचल सम्पति को क्षति पहुंचाई जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेंसी को करनी होगी।
15. सभी श्रमिकों के EPF,ESIC आदि का हिसाब रखने की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं उनके ESIC चिकित्सक कार्ड बनवाकर देना एवं उनकी सूचि संस्थान में प्रस्तुत करना फर्म के लिए अनिवार्य होगा।
16. यदि श्रमिकों एवं नियोक्ता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा। प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल की कोई जवाबदारी नही होगी।
17. उपलब्ध कराये गए मानव संसाधन के नियोजन, किसी भी प्रकार के दावे एवं नियमितीकरण की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी , प.सुं.श.केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल कि नही होगी।
18. किन्ही भी परिस्थितियों में फर्म को यह अधिकार नही होगा कि किसी भी अन्य व्यक्ति को ठेकेदार नियुक्त करे।
19. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए मानव संसाधन के सम्बन्ध में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त नियमों का पालन न करने के फलस्वरूप यदि श्रम विभाग द्वारा विवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो इसके लिए सम्बंधित एजेंसी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।
20. यदि सेवा प्रदाता, उपलब्ध कराये गए मानव संसाधनों से संस्थान में किसी भी रूप, तरीके या नाम पर अनुचित राशि या शुल्क लेते हुए पाया जाता है तो सेवा प्रदाता द्वारा जमा कि गयी प्रदर्शन सुरक्षा राशि (Performance Security Deposit) को जब्त करने , अनुबंध तुरंत समाप्त करने के साथ सेवा प्रदाता को Black List में भी डाला जा सकता है तथा सेवा प्रदाता कि सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त कर्मचारियों का वेतन लंबित बिल से सीधा भुगतान किया जायेगा।
21. वर्क आदेश देने पूर्व संस्थान को Gem पोर्टल के माध्यम से BID निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
22. सफल एजेंसी/बोलीदाता को काम शुरू होने से पहले संस्थान में तैनात की जाने वाली व्यक्तिगत जनशक्ति के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :
    - xi. तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की सूचि।
    - xii. शैक्षिक/पेशेवर के संबंध में प्रमाण पत्र के साथ व्यक्ति का बायोडाटा, योग्यता आदि।
    - xiii. जन्मतिथि युक्त मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
    - xiv. स्थानीय पुलिस प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति के पूर्ववर्त के सत्यापन का प्रमाण पत्र।
    - xv. पहचान का विस्तृत प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खता विवरण, निवास का प्रमाण और संस्थान में एजेंसी द्वारा तैनात किए जाने वाले कर्मियों की हाल की 2 फोटोग्राफ।
23. सफल एजेंसी/बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से फिट है।